न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

पीठासीन अधिकारी– रमेश कुमार आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या : 97 / 2023
निर्णय दिनांक : 01.02.2024
GCMS NO : 2023/183

एजू कंवर पत्नी सुगनसिंह जाति राजपूत निवासीनी ग्राम मालकसर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू राजस्थान

................वादीनी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ जिला चूरू

................प्रतिवादी

दावा बाबत रेकॉर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :–

1. श्री मोहनलाल बिस्सु एडवोकेट वादीनी।
2. प्रतिवादी पेरोकार राज उपस्थित।

निर्णय

संक्षिप्त में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादीनी के खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग के खसरा संख्या 135 तादादी 2.5922 हैक्टेयर, खसरा संख्या 136 तादादी 2.5795 हैक्टेयर, खसरा संख्या 458 / 83 तादादी 0.5058 हैक्टेयर, खसरा संख्या 460 / 84 तादादी 0.3540 हैक्टेयर कुल किता चार कुल तादादी 6.0315 हैक्टेयर वाके रोही मौजा मालकसर तहसील सुजानगढ़ के खातेदारी के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज स्थित है, जिसका वर्तमान खाता संख्या 124 है जिसमें वादीनी का नाम संजु कंवर पत्नी सुगनसिंह अंकित है । यह कि वादगत खेत खाता संख्या 124 रोही मौजा मालकसर में वादीनी का नाम गलत दर्ज है जबकि वादीनी का सही नाम एजू कंवर पत्नी सुगनसिंह है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र, राजस्थान सरकार द्वारा जारी जन आधार कार्ड आदि दस्तावेजात में वादीनी का सही नाम एजू कंवर पत्नी सुगनसिंह ही दर्ज है।

यह कि वादीनी को सरकारी लाभांश आदि प्राप्त करने में दस्तोवजी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए वादीनी को आवश्यक हो गया कि वो अपना नाम राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त करवाए।

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार से प्रकरण में रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादगत खेत में वादीनी विरासत नामान्तकरण संख्या 437 दिनांक 23.06.2017 के द्वारा दर्ज हुआ है। प्रार्थीनी के दस्तावेजों में नाम संजुकंवर अंकित है। एजुकंवर व संजुकंवर दोनों एक ही व्यक्ति है अलग–अलग नहीं हैं। अतः वादीनी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में एजुकंवर किया जाना उचित है।

वादी अधिवक्ता को सुना गया। पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ का अवलोकन किया गया। पत्रावलीं पर उपलब्ध दस्तावेज आधार कार्ड, बैंक पास बुक्स की प्रति., मतदाता पहचान पत्र की प्रति तथा राशंन कार्ड की प्रतिलिपि आदि दस्तावेजात में भी वादीनी का नाम एजुकंवर पत्नी सुगनसिंह अंकित है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार तथा संलग्न दस्तावेजात के अनुसार वाद वादीनी स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

आदेश

दावा वादीनी स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत् भूमि खसरा संख्या 135 तादादी 2.5922 हैक्टेयर, खसरा संख्या 136 तादादी 2.5795 हैक्टेयर, खसरा संख्या 458/83 तादादी 0.5058 हैक्टेयर, खसरा संख्या 460/84 तादादी 0.3540 हैक्टेयर कुल किता चार कुल तादादी 6.0315 हैक्टेयर वाके रोही मौजा मालकसर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में स्थित वादीनी का नाम संजुकंवर पत्नी सुगनसिंह के स्थान पर एजुकंवर पत्नी सुगनसिंह दर्ज किया जावे। रहन अगर कोई है तो उसकी प्रविष्टि यथावत रहे। प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 01.02.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से सुनाया गया।

रमेश कुमार
उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़ (चूरू)

उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
सुजानगढ़ जिला-चूरू